बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 276107 पटना, दिनांक 24/06/16

ग्रा0वि0-7(आ)-06/2013 (खंड)

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उपविकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषय :- **मनरेगा अंतर्गत श्रम एवं सामग्री भुगतान से पूर्व ग्राम पंचायत कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन के संबंध में संशोधित दिशानिर्देश ।**

प्रसंग:- **विभागीय पत्रांक 143492 दिनांक 26.03.2013 ।**

महाशय,

आप अवगत हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समादेश याचिका (C)संख्या 857/2015 स्वराज्य अभियान बनाम भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 13.06.2016 को आदेश पारित करते हुए मनरेगा अधिनियम के कंडिका 29(2) के आलोक में विलंब मजदूरी भुगतान हेतु क्षतिपूर्ति देने का निदेश दिया गया है । मनरेगा अंतर्गत मजदूरी भुगतान के लिए वर्तमान प्रक्रिया- पंचायत की कार्यकारिणी समिति से अनुमोदनपरांत भुगतान करने संबंधी प्रावधान से ससमय भुगतान में कठिनाई आ रही है। फलस्वरूप विलंब से मजदूरी भुगतान की समस्या उत्पन्न होती है ।

प्रासंगिक पत्र के कंडिका 4.1 द्वारा निदेशत किया गया था कि "मनरेगा के अंतर्गत किया जाने वाले व्यय प्रत्येक सप्ताह ग्राम पंचायत कार्यकारिणी समिति से अनुमोदन कराकर ही किया जाय । मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत जो कार्य हो रहे हैं, उनमें होनेवाले व्यय से संबंधित श्रम एवं सामग्री भुगतान विवरणी MIS से Generate की जाए। उस विवरणी को ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन के उपरांत ही उस विवरणी में सन्निहित राशि का भुगतान किया जाए। कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन के बिना भुगतान नहीं किया जाए।

उपर्युक्त प्रावधान को विलोपित करते हुए इसके स्थान पर निम्न प्रावधान किया गया है:- "मनरेगा अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में मजदूरी एवं सामग्री मद का भुगतान किया जाए। भुगतान उपरांत इसकी विवरणी ग्राम पंचायत कार्यकारिणी समिति की बैठक मेंअवलोकन हेतु प्रस्तुत किया जाए।"
उपरोक्त निदेश का अनुपालन करते हुए मजदूरीका भुगतानसुनिश्चित किया जाये ।

विश्वासभाजन

24/6/2016

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सचिव

पत्रांक 276107 पटना, दिनांक 24/06/16

ग्रा0वि0-7(आ)-06/2013 (खंड)

प्रतिलिपि:-सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

24/6/2016
सचिव